मंडल की 2 जून 2020 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	20	5 मई 2020 को आयोजित मंडल की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी.	मंडल की 5.5.2020 को हुई बैठक के कार्यवृत्त का सुधारों/संशोधनों के साथ पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	21	बार्जेस के जरिए कंटेनरों की सम्हलाई हेतु स्टीव्हिडोरिंग प्रभारों में छूट.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
3.	22	जल क्षेत्र के साथ पोतघाट सं. 12बी इंदिरा गोदी का पट्टा आधारपर सीमाशुल्क कार्यालय को आबंटन.	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
4.	23	प्रिंसेस गोदी, मुंबई स्थित रो-पॅक्स टर्मिनल के समीप खाद्य ट्रक के प्रचालन हेतु जगह का किराया करार - संविदा की शर्तों तथा निबंधनों को अनुमोदन हेतु अनुरोध.	टिप्पणी के परिच्छेद 12 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
5.	24	पीर पॉव स्थित तीसरा रसायन घाट का निर्माण तथा फेरी व्हार्फ स्थित नई मत्स्य जेट्टी का निर्माण. - थाने खाड़ी में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (मुंपोट्र) की विकास गतिविधियों के लिए समुद्री जैव विविधता प्रबंधन योजना हेतु एनआईओ, मुंबई की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
6.	25	अंतर्राष्ट्रिय क्रूज टर्मिनल हेतु थर्मल स्कैनर की खरीद.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का सामग्री प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सामग्री प्रबंध
7.	26	बरसात के मौसम में प्लेजर यॉट्स का भंडारण.	टिप्पणी के परिच्छेद 13 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
8.	27	50% स्टीव्हिडोरिंग प्रभारों का अग्रिम भुगतान.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
9.	28	5 वर्ष की न्यूनतम संविदा अवधि की समाप्ति के बाद संविदा पाईलट को मुंपोट्र अंशदान की धनवापसी.	विचार विमर्श अस्थागित.	समुद्री
10.	29	प्रस्ताव का विस्तारण - 15 वर्षों के लिए हारबर क्रुज प्रचालन को लाईसेंस जारी करना (निविदा सं. डीसी-03/2018).	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	समुद्री
11.	30	एम.व्ही. मरेल्ला डिस्कव्हरी जहाज पर आपातकालीन चिकित्सा - जहाज से संबंधित प्रभारों का बिलिंग.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	समुद्री
12.	31	दो संख्या पाईपलाईनों को बिछाने हेतु खाँचों का आबंटन. (i) एलपीजी/पीओएल के लिए एक 400 मि.मी. व्यास की तथा (ii) पिर पॉव, मुंबई से लगे प्रथम/द्वितीय रसायन घाटों स्थित रसायनों के लिए एक 300 मि.मी. व्यास की.	टिप्पणी के परिच्छेद 13 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
13.	32	बीपीएस स्थित लॉंच प्रचालकों हेतु परिसर का आबंटन.	टिप्पणी के परिच्छेद 30 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
14.	33	अनुकंपा नियुक्तियाँ.	विचार विमर्श अस्थागित.	सामान्य प्रशासन
15.	34	गोदियों के अंदर सीएमसी भवन संघरोध केंद्र का प्रचालन.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
16.	35	निविदा सं. डीसी-03/2019 - टॅग ऑफशोअर लि. की जोखिम तथा लागत पर 2 संख्या हारबर टगों (50 टन बोलार्ड पूल प्रत्येकी) को किराये पर लेने हेतु - मूल्य बोली समझौता.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	समुद्री

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
17	36	क्रूज पोत आंग्रिया तथा कर्णिका का बकाया प्रभार.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है - (i) यातायात प्रबंधक द्वारा यथा प्रस्तावित विवादों को सुलझाने; (ii) आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने, तथा (iii) कोविड-19 परिस्थिति के दौरान क्रूज व्यवसाय जारी रखने के लिए मंत्रालय को एक प्रस्ताव अग्रेषित करना.	यातायात
18.	37	वर्ष 2020-21 से तीन वर्षों के लिए मुंबई पोर्ट के अप्रोच चॅनलों, टर्निंग सर्कलों, बाहरी घाटों, इंदिरा गोदी थालों, बंदर क्षेत्रों तथा लंगरगाहों में अनुरक्षण निकर्षण रखरखाव - प्राक्कलन तथा पात्रता निकषों को मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
19.	38	उपाध्यक्ष द्वारा अधिकारिक निवास का अधिभोग जारी रखना.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	कल्यान
20.	39	कोविड-19 महामारी के कारण एमव्ही वाई एम ॲडव्हान्स (आईजीएम सं.2240233) तथा एमव्ही दर्या महेश (आईजीएम सं. 2239158) के पोतभार हेतु - विलंब प्रभारों को लगाये बिना भंडारण प्रभारों के उसी दर से अतिरिक्त 120 दिनों के लिए भंडारण अवधि के विस्तारण हेतु अनुरोध.	(i) विलंब प्रभारों के बजाय कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार भंडारण प्रभारों की उगाही करने, वर्तमान 180 दिनों से 270 दिनों तक 90 दिनों का विस्तारण प्रदान करने, इस शर्त को शिथिल करने की लॉकडाउन अवधि अधिक 30 दिन वसूली अवधि के अंदर पोतभार का निपटारा किया जाए तथा योजना के अधिन 270 दिनों के उपर भंडारण के लिए आगे कोई भी विस्तारण नहीं प्रदान करने को अनुमोदन दिया जाता है. (ii) एक सिध्दांत के रुप में, कोविड अवधि के दौरान, अमोनियम सल्फेट के भंडारण हेतु 30.6.2020 तक विलंब प्रभारों के बजाय भंडारण प्रभारों की उगाही की जाय.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
21.	40	वडाला स्थित वर्तमान रिक्त कॅस्ट्रॉल भवन का कोविड आश्रम में रुपांतरण.	टिप्पणी के परिच्छेद 15 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
22.	41	आईसीटीपीएल (ओसीटी) के विरुध्द प्रतिदावा.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	वित्त
23.	42	मुंपोट्र में उपाध्यक्ष (नगर क्षेत्र) के पद का सृजन.	सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मिलने की शर्त पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में उपाध्यक्ष (नगर क्षेत्र) के पद के सृजन के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	सामान्य प्रशासन
24.	43	निविदा सं.ई.103 ए/2018 - 15 व्हिक्टोरिया गोदी स्थित अंतर्देशीय क्रूज टर्मिनल (डीसीटी) के प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु ओ ॲण्ड एम प्रचालक के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी).	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
25.	44	मुंबई पोर्ट परियोजनाओं का आधुनिकीकरण.	नोट किया गया.	स्थापत्य
26.	45	शहर में भीड को कम करने तथा व्यापार हेतु मुल्य सृजित करने को पीपीपी तरीके से जेएनपीटी न्यास मुंपोट्र बार्ज/पोत प्रचालनों के लिए प्रचालक के चयन हेतु निविदा. निविदा सं.टीएम/बीडीसी/जेएनपीटी-एमबीपीटी बार्ज/ 2019-20/615.	टिप्पणी के परिच्छेद 15 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
27.	46	निविदा सं.ई-73/2018 - मुंपोट्र सामग्री का उपयोग करके जवाहर द्वीप स्थित दक्षिण-पश्चिम गुम का पुनरुध्दार (शेष कार्य) - उप संविदाकार को सीधे भुगतान करने हेतु अनुरोध.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
28	47	आंग्रिया जहाज हेतु प्रभारों की वसूली.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है - (i) आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने, तथा (ii) कोविड-19 परिस्थिति के दौरान क्रूज व्यवसाय जारी रखने के लिए मंत्रालय को एक प्रस्ताव अग्रेषित करना.	यातायात
29.	48	कोविड सकारात्मक रोगियों के प्रबंधन हेतु मुंपोट्र अस्पताल का एक विस्तार के रुपमें कॅस्ट्रॉल भवन में कोविड उपचार आश्रम (सीसीए) की स्थापना.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
30.	49	पीर पॉव में तीसरा रसायन घाट का निर्माण.	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
31.	50	लॉकडाउन अवधि - कोविड-19 महामारी के कारण विलंब/भूमि किराया प्रभारों में छूट/माफी.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात

C6/Pro 2 June 2020/actiontaken20200602(Hindi)